

17.12.21

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद संख्या-11/2020-21

रवि कुमार चौरसिया

-बनाम-

वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज

-: आदेश :-

दिनांक 05.10.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में विपक्षीगण अपने दो प्रतिभूति एवं बंध-पत्र के साथ उपस्थित।

(1). विपक्षी रवि कुमार चौरसिया, पे0-श्री भरत चौरसिया, सा0-मिर्जाचौकी, थाना-मिर्जाचौकी, जिला-साहेबगंज ट्रक संख्या JH18D-8882 की ओर से दो प्रतिभूति एवं बंध-पत्र दाता (i) मदन कुमार जैसवाल, पे0-बलदेव प्रसाद टेबरीवाल, सा0-शेरमारी बाजार, पीरपैती, थाना-पीरपैती, जिला-भागलपुर (बिहार), ट्रक संख्या BR10GB-3361, का ऑनर बुक, बीमा प्रमाण पत्र, (ii). राजेश कुमार शर्मा, पिता-लक्ष्मी शर्मा, सा0-सुन्दरपुर, थाना-पीरपैती, जिला-भागलपुर (बिहार), ट्रक संख्या BR10GB-2291, का ऑनर बुक, बीमा प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

(2). विपक्षी रवि कुमार चौरसिया, पे0-श्री भरत चौरसिया, सा0-मिर्जाचौकी, थाना-मिर्जाचौकी, जिला-साहेबगंज ट्रक संख्या JH18C-8397 की ओर से दो प्रतिभूति एवं बंध-पत्र दाता (i) उज्जवल कुमार जैसवाल, पिता-मणीलाल जैसवाल, सा0-पुलिस चौकी, वार्ड नं0-16, के नजदीक, पूरबटोला कहलगौंव, थाना-कहलगौंव, जिला-भागलपुर (बिहार), ट्रक संख्या BR10GB-8054, का ऑनर बुक, बीमा प्रमाण पत्र, (ii). पुलकीत कुमार, पे0-रवि कुमार चौरसिया, सा0-पीरपैती महेशराम, थाना-पीरपैती, जिला-भागलपुर (बिहार), ट्रक संख्या BR10GB-2111 का ऑनर बुक एवं बीमा प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

(3). विपक्षी रवि कुमार चौरसिया, पे0-श्री भरत चौरसिया, सा0-मिर्जाचौकी, थाना-मिर्जाचौकी, जिला-साहेबगंज ट्रक संख्या JH18C-9846 की ओर से दो प्रतिभूति एवं बंध-पत्र दाता (i) सुरेबी देवी, पति-अजय कुमार चौरसिया, सा0-शेरमारी बाजार, महेशराम, पीरपैती, थाना-पीरपैती, जिला-भागलपुर (बिहार), ट्रक संख्या BR10GB-3873, का ऑनर बुक, बीमा प्रमाण पत्र, (ii). अभिषेक कुमार, पे0-विद्यानन्द जैसवाल, सा0-मिखनपुर, गुमती नं0-2, डा0 हेमन्त कुमार सिन्हा के नजदीक, जगदीशपुर, जिला-भागलपुर (बिहार), ट्रक संख्या BR10GB-2402 का ऑनर बुक एवं बीमा प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

मिर्जाचौकी थाना कांड संख्या 15/2019, दिनांक 03.03.2019 को प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा अधिहरण वाद सं0 05/2019 में विपक्षी के जप्त ट्रक संख्या (1). JH18D-8882, (2). JH18C-8397 एवं (3). JH18C-9846 को अस्थायी रूप से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाता है कि वे न्यायालय द्वारा आदेश किये जाने पर उक्त ट्रक को न्यायालय के समक्ष उपलब्ध करायेंगे। प्रतिभूति बंध-पत्र दाता के जिम्मेनामा पर जप्त ट्रकों को मिर्जाचौकी थाना कांड संख्या 15/2019, दिनांक 03.03.2019 को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-53(3) एवं The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 का 11(V) के अन्तर्गत जप्त ट्रक को जप्ती से अस्थायी रूप से मुक्त किया जाता है। यदि न्यायालय के आदेश के पश्चात विपक्षी द्वारा गाड़ी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कराया जाता है, तो गाड़ी के लिए दियं गये बंध-पत्र प्रतिभूति गाड़ी दाता को न्यायालय में आदेशानुसार जमा करना अनिवार्य होगा।

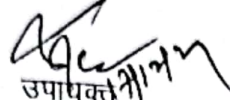
आदेश की कमाक
एवं तिथि
1

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, मिर्जाचौकी एवं प्राधिकृत पदाधिकारी-सह वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को अनुपालन हेतु भेजें। साथ ही उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे उचित पहचान एवं ऑनर बुक ट्रक संख्या (1). JH18D-8882, (2). JH18C-8397 एवं (3). JH18C-9846 को उचित प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर कराकर एवं पहचान पर हस्तगत करावेंगे। साथ ही हस्तगत संबंधी प्रतिवेदन न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अभिलेख दिनांक
लेखापित एवं संशोधित।


उपाधुक्त, साहेबगंज।


उपाधुक्त, साहेबगंज।

21/12/21
293/3100
21.12.21

In,

